न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 41/18 निर्णय दिनांकः– 09–12–2019
(आरसीएमएस संख्या 2018/00401)

1. लाधूसिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी चारणवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. हेमी पुत्री जीवराज सिंह जाति राजपूत
2. बाधू पुत्री जीवराज सिंह जाति राजपूत
3. भंवर सिंह
4. छैलूसिंह
5. रामसिंह
6. मुकुन्द सिंह

पिसरान लाधूसिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत

7. केसीदेवी पत्नी किशोर सिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासीगण चारणवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री नायब सिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2014 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट्स का दावा स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् के पिता कालूसिंह के नाम पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम चारणवाला में गैर खातेदारी पुराना खसरा नम्बर 840, 972, 1130 तादादी 119 बीघा 03

बिस्वा भूमि स्थित थी। जोकि पूर्व में बलवन्त सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह के नाम दर्ज थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पिता कालूसिंह के नाम दर्ज रही। कालूसिंह की मृत्यु के उपरान्त आराजी जै अपीलार्थी की माता गवरा देवी अपीलार्थी लाधूसिंह व अपीलार्थी के भाई लूण सिंह, फूस सिंह आदि के नाम विरासतन गैर खातेदारी दर्ज रही।

उन्होनें आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन के बाद चकों में आने पर चक 22 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 187/30, 187/31, 187/32 व 187/38 में 59 बीघा, चक 5 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 6/11, 6/4, 6/12 में 19 बीघा व चक 24 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 187/22, 187/23 में 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि इस प्रकार कुल 90 बीघा 17 बिस्वा पैमूद हुई। उक्त भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 15एएए (2ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति जीवराज सिंह पुत्र शिवदान सिंह का हिस्सा मानते हुए उसके नाम भी उक्त भूमि गलत रूप से खातेदारी दर्ज कर दी गई। जबकि जीवराज सिंह का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के पुरे तथ्यों पर गौर किये बिना तहसीलदार द्वारा मिलीभगत करते हुए प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर ऐसे व्यक्ति को भी आदेश जैर अपील के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है जिनका वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो पर्चा लगान कमांक 109 जारी किया गया है उसमें आराजी जैर भूमि बलवन्त सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह के नाम दर्ज अंकित बताया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि जीवराज सिंह व उसके वारिसान अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि उनके पूर्वज जीवराज सिंह का अपीलांट् की पुश्तैनी गैरखातेदारी भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि जीवराज सिंह जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पूर्वज थे उनकी भूमि अलग पड़ती थी। जीवराज सिंह ने धोखे और गलत आधारों पर अपनी भूमि को अपीलांट की पुश्तैनी भूमि में फिटिंग दुरूस्ती करवाई गई व उसके आधार पर अपीलांट की भूमि गलत व मिथ्यों तथ्यों के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा ली गई। जिसका कतई अधिकार जीवराज सिंह को नहीं था। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विवाद लम्बे समय से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में न्यायालयों द्वारा जारी निर्णय व निर्देशों के अनुसरण में निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुँचाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् को उसके जायज अधिकारों से वंचित किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए व उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को बिना साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 14–05–2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि के तमाम हिस्सेदारों को उसके हक व हिस्से का रिकार्डेड खातेदार घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम चारणवाला में गैर खातेदारी पुराना खसरा नम्बर 840, 972, 1130 तादादी 119 बीघा 03 जोकि उपनिवेशन के बाद चकों में आने पर चक 22 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 187/30, 187/31, 187/32 व 187/38 में 59 बीघा, चक 5 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 6/11, 6/4, 6/12 में 19 बीघा व चक 24 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 187/22, 187/23 में 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि इस प्रकार कुल 90 बीघा 17 बिस्वा पैमूद हुई के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एएए (2ए) के तहत प्रदान की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध मे हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद वर्ष 1987 से निरन्तर चला आ रहा है। इस संबंध में पत्रावली में पूर्व में निर्णयों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादग्रस्त भूमि को लेकर दिनांक 31–12–1987 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्व अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, द्वारा दिनांक 10–11–1997 को प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वह अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावित पक्षकार हो तो उसे भी पक्षकार बनावें व उसके बाद मैरिट पर दावे की समुचित प्रकिया को अपनाते हुए निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय में जब समकक्ष न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका था कि सभी व्यथित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए दावे की निर्धारित प्रकिया को अपनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार जवाबदावा आदि के आधार पर तनकीयात् कायम करते हुए साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित किया जाता।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए (2ए) के तहत वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करनें में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र निर्णय पारित करने के उद्वेश्य मात्र से बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वादी/प्रतिवादीगणों के हक व हकूकों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2014 रेस्पोडेन्ट्स के नाम से दर्ज की गई भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारों की वादग्रस्त भूमि पर हक व हकूकों की जॉच करते हुए वाद प्रकिया को अपनाते हुए व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 09–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 11:30:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: